

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/एफ./प्रशा./स्था/2023/7602


दिनांक 21/11/23

## // कार्यालयीन आदेश //

भारत का राजपत्र, भाग-III, खण्ड -04 दिनांक मई 02, 2016 में वर्णित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015 एवं माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रो० नलिनी श्रीवास्तव, प्राध्यापक, जैव रसायन अध्ययनशाला को पुनः विश्वविद्यालय में Chairperson, Internal Complaints Committee-Women Cell नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल 03 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति दिनांक, जो भी पहले हो तक रहेगा।


उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रो० नलिनी श्रीवास्तव, प्राध्यापक, जैव रसायन अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. विभागाध्यक्ष, जैव रसायन अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. सहायक कुलसचिव (प्रशासन), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. श्री संजय बरतरिया, आई०टी० सेल प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
सहा०-कुलसचिव (प्रशा०)